**£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®**

**BÉEÉäªÉãÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ**

**®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ**

**iÉÉ®ÉÆÉÊBÉEiÉ |É¶xÉ ºÉÆJªÉÉ 155**

**ÉÊVÉºÉBÉEÉ =kÉ® 16 fnlEcj, 2013 BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè**

**dks;yk CykWdksa dks jí fd;k tkuk**

**¯155 Jh nsosanj xkSM Vhñ %**

# D;k **dks;yk ea=h** ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ X;kjg vkc) dks;yk CykWdksa esa ls izR;sd ,sls CykWd dk C;kSjk D;k gS ftls ea=ky; us jí dj fn;k Fkk(

¼[k½ bu dks;yk CykWd dks jí fd, tkus ds D;k dkj.k gSa( vkSj

¼x½ ea=ky; us mlds }kjk voSèk rjhds ls vkoafVr fd;s x;s 'ks"k rhl dks;yk CykWdksa ds lacaèk esa D;k fu.kZ; fy;k gS\

**=kÉ®**

**BÉEÉäªÉãÉÉ àÉÆjÉÉÒ (gÉÉÒ gÉÉÒ|ÉBÉEÉ¶É VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ)**

**(क) से (ग) :** आवटंन रद्द करने हेतु विभिन्‍न कारणों सहित तत्‍कालीन समीक्षा समिति तथा अब अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा रद्द किए गए कोयला ब्‍लॉकों के आवंटन का ब्‍यौरा अनुबंध में दिया गया है। आवंटन रद्द किए गए 47 कोयला ब्‍लॉकों में से 02 कोयला ब्‍लॉक नामत: उत्‍कल बी-1 तथा उत्‍कल – ए पुन: नई कंपनियों को आवंटित किए गए तथा आवटंन रद्द हुए 05 कोयला ब्‍लॉको नामत: चट्टी बरियातु, चट्टी बरियातु दक्षिण, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को आवंटित केरंदरी, दामोदर वैली कारपोरेशन को आवंटित सहरपुर – जमारपानी कोयला ब्‍लॉक तथा झारखण्‍ड राज्‍य विद्युत बोर्ड को आवंटित बनहरडीह कोयला ब्‍लॉक के संबंध में आवंटन रद्द करने के निर्णय को वापस ले लिया गया था। अभी तक 40 कोयला ब्‍लॉकों का आवंटन रद्द किया गया है।

सरकार द्वारा स्‍क्रीनिंग समिति की सिफारिशों के आधार पर आवंटन का निर्णय लिया गया था। जांच समिति एक व्‍यापक आधार वाला निकाय था जिसमें राज्‍य सरकारों, केन्‍द्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालयों तथा सरकारी कोयला कंपनियों के प्रतिनिधि थे। कार्यवृत्‍त के अनुसार जांच समिति ने अन्‍त्‍य उपयोग परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्‍यवहार्यता, अन्‍त्‍य उपयोग परियोजना स्‍थापित करने की तैयारी की स्‍थिति, परियोजनाओं के निष्‍पादन में पूर्व का ट्रैक रिकार्ड, आवेदक कंपनियों की वित्‍तीय तथा तकनीकी क्षमताओं,संबंधित राज्‍य सरकारों तथा प्रशासनिक मंत्रालय की सिफारिशों से संबंधित मामलों के बारे में आवेदनों का ऑकलन किया था।

केन्‍द्रीय जांच ब्‍यूरों(सीबीआई) ने कोयला ब्‍लॉकों के आबंटन वर्ष 2006-09 की अवधि के दौरान निजी कंपनियों को, 1993-2004 की अवधि के दौरान निजी कंपनियों को कोयला ब्‍लॉकों के आबंटन तथा सरकारी कंपनियों को कोयला ब्‍लॉकों के आबंटन संबंध में तथाकथित अनियमितताओं के संबंध में 3 प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज की हैं। इसके अलावा यह सूचित किया गया है कि सीबीआई ने विभिन्‍न कंपनियों के मामले में 14 एफआईआर दर्ज की हैं। सीबीआई की जांच की मानीटरिंग भारत के माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा की जाती है ।

------